

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

//आदेश //

भोपाल, दिनांक 28/10/2020

कमांक: 906/207/आउशि/शा-5'अ'/2020 :: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 949/2020/सीसी/2020/अड़तीस, दिनांक 31.07.2020, कमांक 425/सीसी/2020/38, दिनांक 25.08.2020 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र कमांक 785/207/आउशि/शा. 5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 07.10.2020 के तहत शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु समय-सारणी जारी की गई थी।

सत्र 2020-21 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 30.10.2020 से 10.11.2020 तक सी.एल.सी. चतुर्थ चरण हेतु निम्नानुसार समय-सारणी जारी की जाती है।

ऑनलाइन ई-प्रवेश समय-सारणी : सत्र : 2020-21
(epravesh.mponline.gov.in)

क्र.	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)	
		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
सी.एल.सी.चतुर्थ चरण					
1.	(अ) अपंजीकृत आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन।	30-10-2020	03-11-2020	30-10-2020	03-11-2020
	(ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से कराना।	02-11-2020	04-11-2020	02-11-2020	04-11-2020
2.	महाविद्यालयों में सीएलसी तृतीय चरण के पश्चात् (CLC चतुर्थ चरण हेतु) रिक्त रहे गये स्थानों का महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना।	03-11-2020		03-11-2020	
3.	(अ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का निर्धारित प्रारूप में पृथक-पृथक महाविद्यालय में विकल्प देना।	05-11-2020	10-11-2020	05-11-2020	10-11-2020
	(ब) महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी.चरण की मेरिट सूची प्रतिदिन जारी करना।	05-11-2020	10-11-2020	05-11-2020	10-11-2020
	(स) आवंटित महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटली ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना।	05-11-2020	10-11-2020	05-11-2020	10-11-2020
	(द) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	30-10-2020	10-11-2020	30-10-2020	10-11-2020

- ❖ उपरोक्त समय सारणी अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमरी/मिडिल स्कूल) में कार्यरत शिक्षक केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वन-स्टेप-अप योजनातर्गत पंजीयन तथा सत्यापन कराकर विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)

अपर आयुक्त

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

निरन्तर...2,

//2//

पृ. क्रमांक 907/207/आउशि/शा-5'अ'/2020
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28/10/2020,

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, सचिवालय, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश ।
4. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
9. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र. ।
10. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाईन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. ।
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल
की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु ।


अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.